



## न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं.

/2016 पुनरीक्षण

सि.गं - 224 - II - 16

1. जयहिन्द पुत्र स्व. हल्के अहिरवार
  2. सुरेन्द्र पुत्र स्व. हल्के अहिरवार
  3. राजू पुत्र स्व. सिकदार अहिरवार
- समस्त निवासीगण ग्राम प्रतापपुरा तहसील  
लवकुशनगर जिला छतरपुर

..... आवेदकगण

विरुद्ध

1. मुलिया पत्नी स्व. सिकदार अहिरवार
2. भूरा पुत्र स्व. सिकदार अहिरवार  
दोनों निवासीगण ग्राम हरद्वार तह.  
लवकुशनगर
3. मूलचन्द्र पुत्र स्व. कल्लन अहिरवार
4. रनिया पत्नी स्व. कल्लन अहिरवार  
निवासीगण ग्राम प्रतापपुरा तह. लवकुशनगर  
जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर / गौरिहार  
जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा प्र.कं. 145/अपील/2013-14  
में पारित आदेश दिनांक 26.11.2015 के विरुद्ध म.प्र. मू.  
राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नानुसार निवेदन है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-224-दो/2016

जिला छतरपुर

जयहिन्द

विरुद्ध

मुलिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
15-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 145/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 26-11-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	

3

(आर.के.जैन)

सदस्य

15.3.19